कार्यालय
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर।
निविदा

देवघर जिले में श्रावणी मेला 2016 एवं सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वा० उपकेन्द्रों के लिए दवा / सामग्री आपूर्ति एवं मशीन उपकरण की आपूर्ति के लिए बहुराष्ट्रीय लोकप्रिय प्रचलित कंपनी WHO GMP Certified Co. एवं आई०एस०आई० कंपनी से प्रमाणित एवं उनके अधिकृत अनुज्ञप्ति प्राप्ती थौक विक्रेता से मोहर बंद लिफाफे में निबंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मुख्य रुप से 2016–17 के लिए होगी तथा इसकी मान्यता अगले निविदा प्रकाशन की तिथि तक होगी। निविदा प्राप्ती की अंतिम तिथि दिनांक 06.06.2016 के अपराह्न तक होगी। निविदा प्राप्ती के अंतिम दिन से दुसरे दिन दिनांक 07.06.2016 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में क्रय समिति के समक्ष निविदा दिन में 01.00 बजे खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने सामग्री के नमुना के साथ उपस्थित होंगे।

निविदा की शर्तें –

1. निविदा दो प्रकार के लिफाफे में जमा करना होगा
   (क) तकनीकी निविदा के साथ सभी संबंधित काम–काज एवं पूर्ण तकनीकी विवरणी संलग्न होगा।
   (ख) वित्तीय निविदा में समानों का दर निविदा आमंत्रण हेतु कार्यालय द्वारा दी गई सूची में अंकित क्रम एवं पैकिंग साईज के अनुरूप ही स्पष्ट एवं साफ अंकित होना चाहिए। सभी समानों का क्रमवार मूल्य सूची अलग–अलग होनी चाहिए। मूल्य सरकारी करों सहित होनी चाहिए। हस्तलिखित निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ वाणिज्य कर, आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र, निर्माता सामग्री का अनुज्ञप्ति एवं उसका नविनिकरण प्रमाण पत्र, केटलॉग, पेनकार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं DGS&D तथा ISI से निबंधन प्रमाण–पत्र जहाँ लागू हो संलग्न रहना चाहिए।
3. मशीन उपकरण के मामले में ISO Certified Co. एवं ISI मार्का का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
4. दवा के मामले में WHO GMP Certified Co. का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
5. वित्तीय निविदा लिफाफे के अन्दर क्रमानुशार तथा कैटोगरी वार सामग्री/दवा आदि का नाम, Pack Specification, निर्माता कंपनी का नाम कर सहित दर/कर का प्रतिशत उल्लेखित कर जमा करना होगा।
6. क्रयादेश के अनुरुप निविदादाता को मशीन उपकरण / दवा / सामग्री इत्यादि जिला अंतर्गत प्रखंडों तक पहुँचाना होगा। वृहत मशीन उपकरण निदिष्ट स्थान पर अधिष्ठापन कर कर्मी को संचालन हेतु प्रशिक्षित करना होगा एवं नियंत्री पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, जिसके पश्चात ही विपत्र का भुगतान की जायेगी।
7. निविदादाता को इस आशय का शपत पत्र मूल प्रति में देना होगा की उनकी प्रतिष्ठान काली सूची में नहीं है।
8. समिति द्वारा प्रथमतः तकनीकी निविदा खोला जायेगा तथा सभी दृष्टिकोण से संतुष्ट होने के उपरांत ही वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्रवाई की जायेगी।
9. निविदा के साथ अग्रधन के रुप में दवा के लिए 100000.00 (एक लाख) रुपये सामग्री आपूर्ति के लिए 25,000.00 (पचीस हजार) रुपये एवं मशिन उपकरण के लिए 100000.00(एक लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट /डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से संलग्न करना होगा, यह सरकारी प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा।
10. आपूर्ति के पश्चात निविदादाता को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि आपूर्ति की गई सभी सामग्री एवं उपकरण मानक स्तर की है तथा आपूर्तिकृत दवाओं के बैच नंबर, केमिकल एनालिसिस रिर्पोर्ट मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त कर दवा के आपूर्ति के समय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में

जमा करना होगा।

11. निविदा दाता को घोषणा पत्र देना होगा कि सभी सामग्री सरकारी नियमों के अधीन आपूर्ति की जायेगी तथा उनपर कोई आरोप एवं कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है तथा कम्पनी रुगन अवस्था में नहीं है।
12. सभी सामग्री मानक स्तर की होनी चाहिए। मशीन उपकरण/ औजार के लिए निविदादाता को घोषणा देना होगा कि पाँच वर्ष तक मुफ्त में मरम्मति की जायेगी तथा शुल्क लेकर कब तक मरम्मति की जायेगी।
13. मशीन उपकरण के कुल राशि का 10 प्रतिशत पाँच वर्ष तक कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
14. सफल निविदा दाता को आदेश प्राप्ति की तिथि 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर समानों की आपूर्ति करनी होगी।
15. निविदा प्रकाशन के लिए दिये गये मशीन उपकरण /दवा/सामग्री आपूर्ति इत्यादि की सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, जो कार्यालय कार्यकाल में प्राप्त किया जा सकता है तथा सूची कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं इंटरनेट वेभसाईट www. deoghar.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
16. निविदा से संबंधित किसी भी न्यायिक मामले का निपटारा देवघर न्यायालय में होगा।
17. निर्माता कंपनी एवं अधिकृत डिलर द्वारा सामग्री आपूर्ति में सम्पादित अनियमित कार्य के लिए मुख्य रुप से पूर्ण जिम्मेवार होंगे।
18. निर्माता कंपनी एवं अधिकृत डीलर को झारखण्ड राज्य का अनुज्ञप्ति होना चाहिए नहीं तो दूसरे राज्य के अधिकृत डिलर से सामग्री ली जायेगी।
19. आदेश के बाद सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
20. सभी दवाओं का Expairy Date कम से कम 18 (अठारह) माह होना चाहिए एवं सभी दवाओं में **Jharkhand Govt Supply Not for sale** अंकित होना चाहिए।
21. सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी।
22. दवा एवं मशीन उपकरण के मामले में निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 7000000.00(सत्तर लाख) की होनी चाहिए जिसका तीन साल का बैलेन्स सीट औडिट रिर्पोट सहित अभिप्रमाणित प्रति में देना अनिवार्य होगा।
23. निविदा पूर्ण रुप से स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पूर्व या पश्चात अगर विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसे लागू करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
25. निविदादाता एजेंसी को आपूर्तिकृत दवा, सामग्री एवं मशीन उपकरण के गुणवत्ता के संबंध में कोई भी आपत्ति होने पर निराकरण होने तक भुगतान रोका जा सकता है।
26. निविदादाता निविदा खोलने कि दिन अपने आपूर्ति किए जाने वाले औषधी के नमुने के साथ उपस्थित होना सूनिश्चित करेंगे एवं नमुना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करेंगे।

16/5/16

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर।

ज्ञापांक. 941 देवघर, दिनांक 16/5/16

प्रतिलिपिः—जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही आग्रह है कि सूची को deoghar.nic.in पर प्रकाशित करनें का कष्ट किया जाए इस हेतु सूची की सॉफ्ट कॉपी पत्र के साथ भेजी जा रही है।

16/5/16

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर।